बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास में लेटलतीफी पर हाईकोर्ट सख्त, कहा...

आप स्टेटमेंट दे दीजिए कि सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, हम पीआईएल खत्म कर देते हैं

भास्कर न्यूज | बिलासपुर

बिलासपुर के बिलासा देवी एयरपोर्ट के विकास में हो रही लेटलतीफी को लेकर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सीजे रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने केंद्र व राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई। सीजे सिन्हा ने कहा कि आप स्टेटमेंट दे दीजिए कि सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, हम पीआईएल खत्म कर देते हैं। बिलासपुर का भाग्य कभी तो जागेगा। राज्य और केंद्र दोनों जगह आपकी ही सरकार है, फिर भी यह हाल है। अधिकारियों के बॉडी लैंग्वेज से लगता ही नहीं कि वे कुछ करना चाहते हैं। हाई कोर्ट ने प्रदेश मुख्य सचिव और रक्षा मंत्रालय के सचिव से अगली सुनवाई में शपथ पत्र के साथ काम की प्रगति की जानकारी मांगी है।

बिलासपुर के चकरभाठा स्थित बिलासा देवी एयरपोर्ट के डेवलपमेंट, 3सी से 4 सी कैटेगरी में अपग्रेड करने, नाइट लैंडिंग की सुविधा, महानगरों के लिए सीधी उड़ान की मांग करते हुए दो जनहित याचिकाएं लगाई गई थीं। सालों से इस पर सुनवाई हो रही है। यहां तक कि एयरपोर्ट को शुरू हुए करीब चार साल पूरे चुके हैं, लेकिन काम की रफ्तार नहीं बढ़ पा रही है। रक्षा मंत्रालय से जमीन का हस्तांतरण समेत कई प्रक्रियाएं अटकी हुई हैं। शुक्रवार को याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट आशीष श्रीवास्तव और एडवोकेट संदीप दुबे ने एयरपोर्ट के मौजूदा स्थिति की जानकारी दी। इस पर चीफ जस्टिस ने नाराजगी जताते हुए महाधिवक्ता से कहा कि आप स्टेटमेंट दे दीजिए कि सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, हम पीआईएल खत्म कर देते हैं।

फोटो में गाड़ी दिख रही, कुछ लोग दिख रहे, काम कहां हो रहा है?

राज्य सरकार की ओर से जवाब में कुछ फोटोग्राफ्स कोर्ट में पेश किए और दावा किया कि एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग से जुड़ा कार्य प्रगति पर है। लेकिन तस्वीरें देखकर चीफ जस्टिस ज्यादा नाराज हो गए। उन्होंने तल्ख लहजे में पूछा- क्या दिख रहा है इन तस्वीरों में? एक गाड़ी खड़ी है, पीछे दो-चार लोग खड़े हैं। काम कहां हो रहा है? जरा हमें भी दिखाइए।

डिफेंस ने दे दी थी मंजूरी, फिर क्यों अटका काम?

याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया कि रक्षा मंत्रालय पहले ही 286 एकड़ जमीन पर रनवे विस्तार व अन्य कार्यों की अनुमति राज्य सरकार को दे चुका है। इस पर कोर्ट ने सरकार से सवाल किया कि जब अनुमति मिल गई, तो अब क्या अड़चन है? इस पर बताया गया कि रक्षा मंत्रालय जमीन के बदले ज्यादा रकम की मांग कर रहा है, जबकि राज्य सरकार चाहती है कि पहले जमीन उसके नाम हो, तभी आगे का कार्य शुरू किया जाए।

पाक्सो के आरोपी को बरी करने के खिलाफ अपील खारिज, सबूत नाकाफी: हाईकोर्ट

भास्कर न्यूज | बिलासपुर

पॉक्सो, एससी/एसटी और आईपीसी की धाराओं में आरोपी को बरी करने के खिलाफ राज्य सरकार की अपील को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 15 साल की नाबालिग लड़की ने एक युवक पर पीछा करने, अश्लील टिप्पणियां और आई लव यू कहकर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया था। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया था, इसके खिलाफ राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में अपील की थी। जस्टिस संजय एस अग्रवाल की सिंगल बेंच ने इसे खारिज कर दिया है। पीड़िता ने कुरुद थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि स्कूल से लौटते वक्त आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की और पहले भी कई बार उसे परेशान करता था। उस पर टिप्पणियां करने के साथ उसे आई लव यू बोला। पीड़िता के बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354-डी, 509, पॉक्सो एक्ट की धारा 8 और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(va) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। धमतरी के स्पेशल कोर्ट ने 27 मई 2022 को आरोपी को सभी धाराओं से बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने अपील की थी।